A-4

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या : 106 / 2020

महाबीर प्रसाद पुत्र श्री भैरूराम, जाति जाट, निवासी दौरादास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
–– अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।
2. रिछपाल पुत्र बुद्वराम, जाति योगी, निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट्

– – –

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 13.12.2019 न्यायालय जिला रसद अधिकारी महोदय, झुंझुनूं नं0 रसद / अभियोग / 2019 / 1094

– – –

उपस्थितः–

1. श्री हरिराम पूनियां, अभिभाषक– अपीलान्ट् की ओर से
2. श्रीमती अनामिका विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. सुश्री पूजा शर्मा एवं श्री यशवीर लाम्बा, अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 19.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 13.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टस इस प्रकार है कि योग्य अदालत मातहत का आदेश विरूद्व कानून एवं पत्रावली है। आदेश दिनांक 13.12.2019 को अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व बिना साक्ष्य दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित करने मे कानूनी भूल की है। महिला सहकारी उपभेक्ता भण्डार की प्रार्थी मे कोई बकाया राशि नही है। इस संबंध मे पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अपीलान्ट पर महिला उपभोक्ता भण्डार की राशि बकाया होना सरासर गलत है। अपीलान्ट को बिना सुने व बिना जांच किये आदेश पारित किया है। अपीलान्ट को जो नोटिस दिये जाना बताया गया है वह नोटिस अपीलान्ट को कभी प्राप्त ही नही हुये है। अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया गया है व ना ही बिलों की कोई जांच करवाई गई है व ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लिये गये है। अपीलान्ट के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज होने की अपीलान्ट को कभी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जानकारी नही हुई और ना ही अपीलान्ट को इस बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। अगर अपीलान्ट के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज भी करवाई गई है तो वह बिना किसी प्रकार की जांच किये व बिना सुनवाई का अवसर दिये दर्ज करवाई गई है। अपीलान्ट ने कोई अपराध कारित नही किया है। अपीलान्ट को उचित मूल्य दुकानदार रिछपाल को स्टॉक संभलवाने का कभी कोई आदेश नही दिया गया। अपीलान्ट को कम स्टॉक उपलब्ध करवाया गया जिसकी कोई जांच नही की गई न ही अपीलान्ट के पोश मशीन की कोई जांच करवाई गई। इस तथ्य की जांच किये बिना भी आदेश दिनांक 13.12.2019 पारित करने मे कानूनी भूल की गई है। अपीलान्ट का लाईसेन्स बिना सुनवाई किये निरस्त किया गया है व बिना अपीलान्ट को सुने अपीलान्ट की प्रतिभूति राशि जप्त की गई है जो कानूनन गलत है व अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय मे दिनांक 30.12.2019 दिखाई गई है जिससे भी स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 13.12.2019 गलत पारित किया गया है। अपीलान्ट ने जितना स्टॉक प्राप्त किया है उनके बिल प्राप्त लिये है जिसकी किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई व पोश मशीन 9854 मे जो ज्यादा सामान चढाया गया व कम स्टॉक उपलब्ध कराया गया उनकी किसी भी तरह की कोई जांच नही की गई व न ही अपीलान्ट को इस बाबत सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट श्रीमान्जी की सेवामे पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 13.12.2019 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा निर्णय दिनांक 13.12.2019 अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व बिना साक्ष्य दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। अपीलान्ट को जो नोटिस दिये जाना बताया गया है वह नोटिस अपीलान्ट को कभी प्राप्त ही नही हुये है। अदालत मातहत द्वारा ना तो बिलों की कोई जांच करवाई गई है व ना ही किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लिये गये है। अपीलान्ट ने कोई अपराध कारित नही किया है। अपीलान्ट को उचित मूल्य दुकानदार रिछपाल को स्टॉक संभलवाने का कभी कोई आदेश नही दिया गया। अपीलान्ट को कम स्टॉक उपलब्ध करवाया गया जिसकी कोई जांच नही की गई न ही अपीलान्ट के पोश मशीन की कोई जांच करवाई गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व पुलिस थाने मे एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई थी जिसमे तत्कालीन प्रर्वतन निरीक्षक श्री कन्हैयालाल ने भी जांच मे माना है कि अपीलान्ट के विरूद्व एफ0 आई0आर0 गलतफहमी मे दर्ज करवा दी गई। उक्त एफ0आई0आर0 मे एफ0 आर0 लगाई जा चुकी है। पोश मशीन मे तो गेहूं का वितरण दर्शा दिया गया जबकि भौतिक रूप से गेहूं की आपर्ति अपीलान्ट को नही की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं का आदेश दिनांक 13.12.2019 निरस्त किया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार (रेस्पो0 सं0 1 की ओर से) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट को जारी नोटिस का उनके द्वारा कभी अदालत मातहत को कोई जबाब नही दिया। अपीलान्ट

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

द्वारा गत तारीख पेशी दिनांक 8.10.2020 को अदालत के समक्ष ही जबाब प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट ने अपने जबाब मे माना है कि वह स्टॉक दे देगा। जबाब मे अपीलान्ट द्वारा मात्रा भी नही बताई गई। अपीलान्ट बताये कि उनको आंवटित 75.15 क्विंटल गेहूं कहां है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आदेश जारी किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि उसे अपीलान्ट के स्थान पर अस्थाई अटेचमैन्ट दिया जाकर वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपीलान्ट द्वारा रेस्पो0 सं0 2 को पोश मशीन तो दे दी गई परन्तु 75.15 क्विंटल गेहूं नही दिया गया है। पोश मशीन मे 75.15 क्विंटल गेहूं अवशेष दर्ज है। अतः रेस्पो0 सं0 2 को 75.15 क्विंटल गेहूं अपीलान्ट से दिलवाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.8.2019 मे पॉश मशीन सं0 25623 के क्रम मे अपीलान्ट ने खुद स्वीकार किया है कि मुझे 32.53 क्विंटल गेहूं डीलर रिछपाल (रेस्पो0 सं0 2) को देने थे जो आज दिनांक उसे नही दे पाया हूं। अपीलान्ट महाबीर ने यह भी निवेदन किया कि वह उक्त 32.53 क्विंटल गेहूं शीघ्र रेस्पो0 सं0 2 रिछपाल को दे देगा जो अपीलान्ट द्वारा रेस्पो0 सं0 2 को उपलब्ध नही करवाये गये। अदालत मातहत की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.8.2019 मे दूसरी पॉश मशीन सं0 9854 के क्रम मे अपीलान्ट ने खुद स्वीकार किया है कि इस पॉश मशीन मे अवशेष 42.62 क्विंटल गेहूं का समाधान 3 दिवस मे कर दिया जावेगा जिसका समाधान अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट पॉश मशीन सं0 25623 एवं पॉश मशीन सं0 9854 मे कुल 75.15 क्विंटल गेहूं के गबन का दोषी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। साथ ही अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा गबन किये गये 75.15 क्विंटल गेहूं की राशि वसूल कर राजकोष मे जमा कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झ
जिला कलक्टर